

To Be Published in An Extraordinary Issue  
of the Gazette of India, Part II Section 3 (iii)  
Dated 21<sup>st</sup> March, 2016.

To be published In an extraordinary issue  
of the West Bengal State Gazette  
Dated 21<sup>st</sup> March , 2016.

## **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

---

No.282/DEL-WB/2016

Dated : 21<sup>st</sup> March, 2016

Chaitra 1, 1938 (Saka)

### CORRIGENDUM

The following corrections shall be made in the under mentioned  
Commission's Notifications:-

1. In the Notification No.282/DEL-WB/2016 dated 5<sup>th</sup> March, 2016, the words, figures and brackets "Section 9(c) of the Representation of the People Act, 1950" shall be substituted and read as "Section 9(1)(c) of the Representation of the People Act, 1950".
2. In the Notification No.282/DEL-WB/2016 dated 15<sup>th</sup> March, 2016, the words, figures and brackets "Section 9(c) of the Representation of the People Act, 1950" wherever occurring, shall be substituted and read as "Section 9(1)(c) of the Representation of the People Act, 1950".

By Order

(K. AJAYA KUMAR)  
SR. PRINCIPAL SECRETARY

भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के  
भाग II खंड 3(iii) दिनांक 21 मार्च 2016  
में प्रकाशनार्थ

पश्चिम बंगाल राज्य के राजपत्र के  
असाधारण अंक दिनांक 21 मार्च 2016  
में प्रकाशनार्थ

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

सं. 282/परिसीमन-प. बंगाल/2016

दिनांक: 21 मार्च, 2016

चैत्र 1, 1938 (शक)

### शुद्धिपत्र

आयोग की अधोलिखित अधिसूचना में निम्नलिखित शुद्धियां की जाएंगी:-

1. अधिसूचना सं. 282/परिसीमन-प. बंगाल/2016 दिनांक 5 मार्च, 2016 में शब्द, अंक एवं ब्रैकेट, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9(ग) " प्रतिस्थापित किए जाएंगे और "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 9(1)(ग)" के रूप में पढ़े जाएंगे।
2. अधिसूचना सं. 282/परिसीमन-प. बंगाल/2016 दिनांक 15 मार्च, 2016 में शब्द, अंक एवं ब्रैकेट, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 9(ग)", जहां कहीं भी आए हैं, प्रतिस्थापित किए जाएंगे और "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 9(1)(ग)" के रूप में पढ़े जाएंगे।

आदेश से,

(के. अजय कुमार)  
वरिष्ठक प्रधानसचिव